रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16022022-233526
CG-DL-E-16022022-233526

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 724] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 16, 2022/माघ 27, 1943
No. 724] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 16, 2022/MAGHA 27, 1943

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2022

का.आ. 744(अ).— जबकि, केंद्र सरकार ने जोन-डी की जोनल विकास योजना में इसके तहत उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव रखा था, जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनिय, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 30.09.2021 की सार्वजनिक सूचना सं. का.आ. 4030 (अ) के रूप में प्रकाशित किया गया था, जिसके लिए उक्त नोटिस की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर उक्त अधिनियम की धारा II-क की उप-धारा (3) द्वारा आवश्यक आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. जबकि, प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त एक (1) आपत्ति/सुझाव पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गठित जांच एवं सुनवाई बोर्ड द्वारा विचार किया गया है और दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदित भी किया गया है।

3. जबकि, केंद्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद जोन-डी की जोनल विकास योजना को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

4. इसलिए, अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा जोन-डी की उक्त जोनल विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे:

संशोधन:

जोन डी की जोनल विकास योजना - 2001	
खंड 15.0 पुनर्विकास और शहरी नवीकरण क्षेत्र	
मौजूदा प्रावधान	**संशोधन/परिवर्तन**
15.0 पुनर्विकास और शहरी नवीकरण क्षेत्र क (जोनल विकास योजना में पुनर्विकास के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की गई है: 1. माता सुंदरी क्षेत्र (डी-2) 2. अलीगंज और लोधी कॉलोनी (डी-15 और 16) 3. लक्ष्मी बाई नगर (डी-14) 4. सरोजिनी नगर (डी-21) 5. नेताजी नगर (डी-21) 6. किदवई नगर (डी-20) 7. मोतीबाग (डी-13 और 21)	15.0 पुनर्विकास और शहरी नवीकरण क्षेत्र क (जोनल विकास योजना में पुनर्विकास के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की गई है: 1. माता सुंदरी क्षेत्र (डी-2) 2. अलीगंज और लोधी कॉलोनी (डी-15 और 16) 3. लक्ष्मी बाई नगर (डी-14) 4. सरोजिनी नगर (डी-21) 5. नेताजी नगर (डी-21) 6. किदवई नगर (डी-20) 7. मोतीबाग (डी-13 और 21) 8. बाबा खड़क सिंह मार्ग और पं. पंत मार्ग, जीपीओ (डी-4) के निकट, बहु-मंजिला फ्लैट

[फा. सं. के-13011/1/2022-डीडी-I]

उपेंद्र कुमार तिवारी, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2022

S.O. 744(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Zonal Development Plan of Zone-D, regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 4030(E) dated 30.09.2021 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/ suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within forty five days from the date of the said notice.

2. Whereas, one (1) objection/ suggestion received with regard to the proposed modifications have been considered by the Board of Enquiry and Hearing, set up by the Delhi Development Authority and also approved in the meeting of Delhi Development Authority.

3. Whereas, the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Zonal Development Plan of Zone-D.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Zonal Development Plan of Zone-D with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

Zonal Development Plan of Zone D-2001	
Clause 15.0 REDEVELOPMENT AND URBAN RENEWAL AREAS	
Existing Provision	**Amendments / Modifications**
15.0 Redevelopment and Urban Renewal Areas a) The following areas are identified for redevelopment in the Zonal development plan: 1. Mata Sundari Area (D-2) 2. Aliganj & Lodhi Colony (D-15 & 16) 3. Laxmi Bai Nagar (D-14) 4. Sarojini Nagar (D-21) 5. Netaji Nagar (D-21) 6. Kidwai Nagar (D-20) 7. Moti Bagh (D-13 & 21)	15.0 Redevelopment and Urban Renewal Areas a) The following areas are identified for redevelopment in the zonal development plan: 1. Mata Sundari Area (D-2) 2. Aliganj & Lodhi Colony (D-15 & 16) 3. Laxmi Bai Nagar(D-14) 4. Sarojini Nagar (D-21) 5. Netaji Nagar (D-21) 6. Kidwai Nagar (D-20) 7. Moti Bagh (D-13 & 21) 8. Multi-Storied Flats along Baba Kharak Singh Marg and Pt. Pant Marg, near G.P.O. (D-4)

[F. No. K-13011/1/2022-DD-I]

UPENDRA KUMAR TIWARI, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.02.16 22:25:15 +05'30'